रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-114/2017/2254/22-2-2016-17(60)/2014

लखनऊ:दिनांक: 21 फरवरी, 2017

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद** के सिद्धदोष **बन्दी सरजू उर्फ निमिहा (बन्दी संख्या-725/03) पुत्र श्री शिवनाथी, निवासी-अमवा, थाना-विसण्डा, जिला-बांदा** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-274/1997** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-148, 307/149, 302/149** के अधीन मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2, बांदा द्वारा **दिनांक 04-06-1999** को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया था। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10-12-2007 द्वारा बन्दी की अपील को निरस्त करते हुए आजीवन कारावास की सजा बहाल रखी गयी। बन्दी द्वारा दिनांक 23-05-2016 तक काटी गयी 18 वर्ष, 03 माह, 09 दिन की अपरिहार तथा 23 वर्ष, 08 माह, 26 दिन की सपरिहार सजा को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी के नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को **जिला मजिस्ट्रेट**, **बांदा** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-114/2017/2254(1)/22-2-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2-जिला मजिस्ट्रेट, बांदा ।

3-पुलिस अधीक्षक, बांदा ।

4-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।

5-कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

6-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in